न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
385/2013 (RCMS 2013/00673)	29.07.2013	26.07.2019

अनवान

श्रीमती शांतीदेवी उर्फ शांतीबाई पत्नि भैरूलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीया

बनाम

1. श्री गोपाललाल पिता श्री विजयशंकर मौड जाति मौड उम्र वयस्क निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. श्री शिवलाल पिता श्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौडगढ।
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री सम्पत जणवा — प्रार्थीया
एक तरफा — अप्रार्थी संख्या 1, 2
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी संख्या 3

–:: प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 144 एवं धारा 151 जा0दी0 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने खिलाफ अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया विपक्षी गोपाललाल ने प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 शिवलाल व सरकार के खिलाफ ग्राम सेगवा की आराजी संख्या 405, 450, 477, 491, 555/494, 756/485 कुल किता 6 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि को प्रार्थीया के नाम से हटवाकर स्वयं के नाम की घोषित करवा दर्ज कराने हेतु धारा 88, एवं 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण संख्या 222/07 दर्ज किया जाकर दिनांक 29.06.2009 को डिक्री फरमाया गया जिसकी पालना करवाई जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 20.06.2010 को निर्णित किया गया। न्यायालय आप के द्वारा प्रकरण संख्या 222/07 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध प्रार्थीया ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी जी चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण संख्या 147/09 दर्ज किया जाकर दिनांक 15.12. 2010 को अपील स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2009 को निरस्त कर दिया गया तथा पत्रावली रिमाण्ड की जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः प्रकरण को निर्णय करने के निर्देश दिये गये जिस पर प्रकरण संख्या 73/2011 माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को बाजदायर किया गया था तथा वादी को साक्ष्य का समुचित अवसर दिया गया। वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण कॉस्ट अदा न करने के कारण एवं सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10.09.2012 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज करने का आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 अपील न्यायालय ने दिनांक 15.12.2010 को खारीज कर दिया है तथा रिमाण्ड होने के बाद भी वादपत्र दिनांक 10.09.2012 को खारीज हो चुका है। इस कारण इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 29. 06.2009 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 20.06.2010 खारीज फरमाया जाना आवश्यक है तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2009 से पूर्व की स्थिति कायम की जाकर राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2009 की स्थिति को कायम करते हुए नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 20.06.2010 खारीज कर ग्राम सेगवा की नवीन आराजी संख्या 405, 450, 477, 491, 555/494, 756/485 कुल किता 6 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज फरमाई जावें।

इस प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश दिये गयें। दिनांक 26.07.2019 को विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया की न्यायालय श्रीमान् आप द्वारा किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 को अपीलीय माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 147/2009 निर्णय दिनांक 15. 12.2010 द्वारा अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई के निर्देश प्रदान किये गये है, ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 407 निर्णय दिनांक 20.06.2010 की पूर्व स्थिति किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इसी के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। सुनी गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 407 निर्णय दिनांक 20.06.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया की जमाबंदी संवत् 2066–2069 के खाता संख्या 193 में दर्ज अभिलिखित खातेदार शान्तिबाई बेवा भैरूलाल ब्राहम्ण सा0देह दर्ज अंकित रही है। उक्त खाते में अंकित नोट अनुसार ‘‘नामान्तरकरण संख्या 407 नि0दि0 20.06.2010 न्याया. आदेश से डिग्री से आराजी संख्या 450 रकबा 0.14 गोपाललाल पिता विजयशंकर मौड सा0देह के नामदर्ज करने की स्वीकृति हुई’’ अंकित है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सेगवा की आराजी संख्या 450 रकबर 0.14 है0 जो प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है को वादी की खातेदारी की घोषित कर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 की पालना में ही दर्ज अभिलिखित किया जाना जाहिर होता है। चूंकि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 को सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जा चुका है जिसकी ताईद माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रकरण संख्या 147/2009 निर्णय दिनांक 15.12.2010 से होती है ऐसी स्थिति में अपास्त किये जा चुके निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में हुये परिवर्तन को अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन प्रत्यास्थापन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 144 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 450 के संबंध में न्यायालय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 की पालना में निर्णित नामान्तरकरण संख्या 407 निर्णय दिनांक 20.06.2010 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड स्थिति किये जाने का आदेश दिया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

इस न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है मौजा सेगवा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 450 के संबंध में न्यायालय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06. 2009 की पालना में निर्णित नामान्तकरण संख्या 407 निर्णय दिनांक 20.06.2010 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल(पुनः कायम) की जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक **26.07.2019** को सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official